न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 17 / 2022

1 रामसहाय पुत्र बालू।
2 मालीराम पुत्र बालू।
3 तीजा देवी पत्नी बालू समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ढ़ाणी बावड़ी की तन ग्राम रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 ग्यारसीलाल पुत्र गीगाराम।
2 मूली देवी पुत्री बालू।
3 मुन्नी देवी पुत्री बालू समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ढ़ाणी बावड़ी की तन ग्रम रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
4 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
5 मैनेजर बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा अजमेरी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 03.03.2022 मुकदमा नम्बर 07 / 2020 बउनवानी ग्यारसीलाल बनाम रामसहाय वगैरह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री रामेश्वरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री छगनसिंह गुर्जर, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री बजरंगलाल शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 14-11-22

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 07/2020 में पारित निर्णय दिनांक 03.03.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी रेस्पोडेंट संख्या 1 ने विचारण न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस आशय का पेश किया कि ग्राम रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में प्रार्थी व उसके परिजनो भाईयो एवं बहिनो की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 497,512,679,680,681,682,683 कुल किता 7 कुल रकबा 2.3100 हैक्टेयर जिसमें भूमि खसरा नम्बर 682,683 में प्रार्थी ने मकान बना रखे है तथा आवागमन का एकमात्र रास्ता 4 मीटर चौड़ा एवं 15 मीटर लम्बा शाहपुरा नीमकाथाना सड़क मार्ग से अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के पिता के नाम दर्ज खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 688 रकबा 0.7600 हैक्टेयर ग्राम रायपुर जागीर में से होकर कदीम से प्रचलित रास्ता चला आ रहा है जिसमें मोरम मलबा आदि डाला हुआ था जिस रास्ते से प्रार्थी अपने साधन वाहन ट्रक, ट्रेक्टर ट्रोली, जीप, ऊंट लढ़ा लाते ले जाते आ रहे है रास्ता कदीम से चला आ रहा है अप्रार्थीगण रास्ते पर अतिक्रमण करने व रास्ता को अवरूद्व करना चाहते है इसलिए खसरा नम्बर 688 रकबा 0.7600 हैक्टेयर वाके रायपुर जागीर में से 4 मीटर चौड़ा, 15 मीटर लम्बाई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

का रास्ता राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। उक्त आशय के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए अपीलांट/अप्रार्थीगण ने अभिकथित किया कि खसरा नम्बर 688 रकबा 0.7600 हैक्टेयर वाके रायपुर जागीर में से होकर रास्ता कभी नही रहा, ना ही कोई मोरम मलबा डाला हुआ है इसलिए किसी प्रकार के वाहन ऊंट लढ़ा ट्रेक्टर जीप आने जाने का प्रश्न ही नही है, खसरा नम्बर 685,687,688 की खातेदारी बालू के नाम है एवं खसरा नम्बर 694 गैर मुमकिन आबादी है इसमें सटाकर प्रार्थी व उसके परिजनों की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है तथा सड़क के पूर्वी तरफ खसरा नम्बर 688 की पश्चिमी तरफ की दीवार खसरा नम्बर 694 व उसके आगे करीब 5 फिट ऊंचाई की सुरक्षा दीवार एनएचएआई द्वारा बनायी हुई है जो करीब 35 वर्ष पुरानी है इसलिए भी इस तरफ से रास्ता होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर उस रिपोर्ट पर बिना अपीलांट को आपत्ति एतराज करने का अवसर दिये दिनांक 03.03.2022 को पारित करते हुये रेस्पोडेंट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार कर लिया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपने निर्णय में स्वंय माना है कि खसरा नम्बर 688 में जिस तरफ रास्ता का निर्णय किया जा रहा है उस तरफ पुख्ता निर्माण किया हुआ है तथा वह पुख्ता निर्माण अपीलांट का अस्थायी एवं अपीलांट के पशुधन का स्थायी निवास है जहां पशुधन एवं उनका चारा पड़ा हुआ है। रेस्पोडेंट संख्या 1 जिस तरफ से खसरा नम्बर 688 में से रास्ते की मांग कर रहा है वहां सड़क की ऊचाई भूमि की सतह से 5 फिट है तथा सड़क दुर्घटना रोकने हेतु करीब 35 वर्ष पूर्व से सड़क के सहारे–सहारे सुरक्षा दीवार बनायी हुई है तथा सड़क के सहारे–सहारे बनी सुरक्षा दीवार को तोड़कर रास्ता दिये जाने से सड़क दुर्घटना की पूर्ण संभावना बन गयी है। अपीलांट ने अपनी भूमि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

खसरा नम्बर 688 में आवासीय मकान बना रखे है तथा खसरा नम्बर 688 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से रास्ता शुरू होकर अपीलांट के मकानो तक जाता है तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 के मकान अपीलांट के मकानों के उतरी तरफ है इसलिए जिस रास्ते का उपयोग अपीलांट करते आ रहे है वही रास्ता आगे उतर की ओर रेस्पोडेंट संख्या 1 के मकान तक कायम हो सकता है परन्तु खसरा नम्बर 688 में एक रास्ता अपीलांट का पूर्व से प्रचलित होने व उसी भूमि उतरी कोने से एक अन्य रास्ता सड़क की सुरक्षा दीवार तोडकर कायम हो जाने से अपीलांट की अधिकतर भूमि रास्तों में चली जायेगी एवं सड़क की सुरक्षा दीवार टूटने व रास्ता कायम हो जाने से रास्ते से होकर आवारा पशु अपीलांट की फसल का नुकसान करेगें। ऐसी स्थिति में विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया रास्ता सुगम, सरल एवं न्यूनतम दूरी का है। विचारण न्यायालय के समक्ष तहसीलदार द्वारा दिनांक 15.11.2021 एवं 03.03.2022 को मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। अपीलांट द्वारा प्रथम रिपोर्ट के पश्चात दिये गये रास्ते पर निर्माण कार्य किया है जो विधि विरूद्व है। मुख्य सड़क पर बनाई गई दिवार सुरक्षा के लिये है। इससे रास्ता दिये जाने में कोई विधिक अड़चन नही है। अपीलांट द्वारा कथित रास्ता निकटतम नही है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना कर विस्तृत विवेचन कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपने निर्णय में स्वंय माना है कि खसरा नम्बर 688 में जिस तरफ रास्ता का निर्णय किया जा रहा है उस तरफ पुख्ता निर्माण किया हुआ है तथा वह पुख्ता निर्माण अपीलांट का अस्थायी एवं अपीलांट के पशुधन का स्थायी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निवास है जहां पशुधन एवं उनका चारा पड़ा हुआ है। रेस्पोडेंट संख्या 1 जिस तरफ से खसरा नम्बर 688 में से रास्ते की मांग कर रहा है वहां सड़क की ऊचाई भूमि की सतह से 5 फिट है तथा सड़क दुर्घटना रोकने हेतु करीब 35 वर्ष पूर्व से सड़क के सहारे–सहारे सुरक्षा दीवार बनायी हुई है तथा सड़क के सहारे–सहारे बनी सुरक्षा दीवार को तोड़कर रास्ता दिये जाने का विचारण न्यायालय ने अपने विचाराधीन निर्णय में कोई आदेश पारित नही किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने कथन किया है कि अपीलांट ने अपनी भूमि खसरा नम्बर 688 में आवासीय मकान बना रखे है तथा खसरा नम्बर 688 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से रास्ता शुरू होकर अपीलांट के मकानो तक जाता है तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 के मकान अपीलांट के मकानों के उतरी तरफ है इसलिए जिस रास्ते का उपयोग अपीलांट करते आ रहे है वही रास्ता आगे उतर की ओर रेस्पोडेंट संख्या 1 के मकान तक कायम हो सकता है परन्तु खसरा नम्बर 688 में एक रास्ता अपीलांट का पूर्व से प्रचलित होने व उसी भूमि उतरी कोने से एक अन्य रास्ता सड़क की सुरक्षा दीवार तोडकर कायम हो जाने से अपीलांट की अधिकतर भूमि रास्तों में चली जायेगी एवं सड़क की सुरक्षा दीवार टूटने व रास्ता कायम हो जाने से रास्ते से होकर आवारा पशु अपीलांट की फसल का नुकसान करेगें। अपीलांट के इस कथन पर विचारण न्यायालय ने कोई विवेचन नही किया है।

यहां यह भी विचारणीय है कि जब अपीलांट स्वंय कथन कर रहा है कि खसरा नम्बर 688 में अपीलांट के आवागमन हेतु पहले से रास्ता कायम है और इसी रास्ते से आवेदनकर्ता को रास्ता दिया जा सकता है इस बिन्दु पर विचारण न्यायालय ने न तो कोई विवेचन किया है एवं न ही कोई मौका रिपोर्ट प्राप्त की है। विधि में ऐसा कोई प्रावधान नही है कि पक्के निर्माण को तोड़कर धारा 251ए में रास्ता दिया जा सकें। ऐसी स्थिति में विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है। आवेदनकर्ता रेस्पोडेंट खसरा नम्बर 688 में अवस्थित अपीलांट के रास्ते से स्वंय के खेत तक रास्ता प्राप्त करने के लिये आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 14-11-12 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर